हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

प्रथम सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः3

वीरवार, 11 जनवरी, 2018/21 पौष, 1939(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समय : 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

1. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्यः

श्री जय राम ठाकुर, माननीय मुख्य मन्त्री ने वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य दिया।

2. मन्त्री परिषद का परिचयः

श्री जय राम ठाकुर, माननीय मुख्य मन्त्री ने अपने मन्त्री परिषद का परिचय करवाया।

3. स्वीकृत विधेयक सभा पटल परः

सचिव, विधान सभा ने निम्न विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी, जिन्हें सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैः-

1. हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक11);
2. हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 12); और
3. हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 13)

4. कागज़ात सभा पटल परः

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, वर्ग-III (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः पीईआर(एपी)-सी-ए(3)-3/2017 दिनांक 11.10.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 08.11.2017 को प्रकाशित;

(ii) हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी), वर्ग-III(अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःपीईआर(एपी)-सी-ए(3)-1/2007-II दिनांक 16.09.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 22.09.2017 को प्रकाशित;

(iii) हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, चालक, वर्ग-III (अराजपत्रित), सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः पीईआर(एपी)-सी-ए (3)-4/2010 दिनांक 23.10.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 03.11.2017 को प्रकाशित;

(iv) हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, चौकीदार, वर्ग-IV (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः पीईआर(एपी)-सी-ए(3)-6/2017 दिनांक 28.09.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 10.10.2017 को प्रकाशित; और

(v) हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन नियम, 2005 के नियम 7 के अन्तर्गत प्ररूप-5 ।

5. <u>अध्यादेश :</u>

(1) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री ने** भारत के संविधान के अनुच्छेद 213(1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 09.10.2017 को प्रख्यापित, **हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश संख्यांक 4**) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ) सभा पटल पर रखी।

(2) **श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री ने** भारत के संविधान के अनुच्छेद 213(1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 25.09.2017 को प्रख्यापित, **हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश संख्यांक 3**) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित

जिनकेकारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ) सभा पटल पर रखी।

6. <u>**उपाध्यक्ष के चुनाव हेतु प्रस्ताव :**</u>

(1) **श्री सुरेश भारद्वाज, माननीय शिक्षा मन्त्री ने** निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया किः-
"**श्री हंस राज, सदस्य,** हिमाचल प्रदेश विधान सभा को उपाध्यक्ष पद हेतु चुना जाए।"

श्री विनोद कुमार, सदस्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

(2) **श्री महेन्द्र सिंह, माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री ने** निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया किः-
"**श्री हंस राज, सदस्य,** हिमाचल प्रदेश विधान सभा को उपाध्यक्ष पद हेतु चुना जाए।"

श्री किशोरी लाल, सदस्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ किः

"**श्री हंस राज, सदस्य,** हिमाचल प्रदेश विधान सभा को उपाध्यक्ष पद हेतु चुना जाए।"

सर्वप्रथम श्री सुरेश भारद्वाज, माननीय शिक्षा मन्त्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मतदान हेतु रखा गया।

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ)

क्योंकि एक अन्य प्रस्ताव भी श्री हंस राज, सदस्य को उपाध्यक्ष पद पर चुने जाने से सम्बन्धित था और उनके नाम का प्रथम प्रस्ताव सभा द्वारा पारित किया जा चुका था। नियमानुसार अन्य प्रस्ताव को सभा में मतदान हेतु रखने की आवश्यकता नहीं समझी गई।
श्री हंस राज, सदस्य हिमाचल प्रदेश विधान सभा को सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष पद हेतु चुने जाने की घोषणा की गई।

(श्री हंस राज उपाध्यक्ष पद के लिए सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए)

माननीय उपाध्यक्ष श्री हंस राज को सदन के नेता, माननीय मुख्य मन्त्री श्री जय राम ठाकुर, संसदीय कार्य मन्त्री, श्री सुरेश भारद्वाज व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री मुकेश अग्निहोत्री ने उपाध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचाकर पदासीन किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय को सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुने जाने पर निम्नलिखित ने बधाई दीः-

1. **श्री जय राम ठाकुर, माननीय मुख्य मन्त्री**
2. **श्री मुकेश अग्निहोत्री, राष्ट्रीय कांग्रेस विधायक दल के नेता**
3. **श्री सुरेश भारद्वाज, माननीय शिक्षा मन्त्री**
4. **श्रीमती आशा कुमारी**
5. **डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष महोदय**

7. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव- प्रस्तुतीकरण एवं चर्चाः

श्री राकेश पठानिया, ने निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा कीः-

कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर निम्न शब्दों में उनकी सेवा में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएः-

"इस सदन में एकत्रित सदस्य, महामहिम राज्यपाल महोदय का दिनांक 10 जनवरी, 2018 को उन्हें सम्बोधित करने के लिए, ह्दय से आभार प्रकट करते हैं"

श्री इन्द्र सिंह,सदस्य ने प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया।
निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लियाः-

1. श्री मुकेश अग्निहोत्री, राष्ट्रीय कांग्रेस विधायक दल के नेता
2. श्री सुख राम

(अपराह्न 1.15 बजे सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए अपराह्न 2.15 बजे तक स्थगित हुई)

(अपराह्न 2.15 बजे सदन की बैठक भोजनावकाश के उपरान्त माननीय अध्यक्ष डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

3. श्री हर्षवर्धन चौहान
4. श्री नरेन्द्र ठाकुर
5. श्री जगत सिंह नेगी

श्री किशन कपूर, माननीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री ने कुछ बिन्दुओं पर स्प्ष्टीकरण दिया।

श्री महेन्द्र सिंह, माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री ने भी स्पष्टीकरण दिया।

6. श्री राकेश सिंघा
7. श्री बलबीर सिंह
8. श्री राजेन्द्र राणा
9. श्री जीत राम कटवाल
10. श्री होशयार सिंह
11. डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल
12. श्री राकेश कुमार
13. श्री इन्द्र दत्त लखनपाल
14. श्री विपिन सिंह परमार, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री

(माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री के भाषण के मध्य सांय 5.00 बजे सदन की बैठक सांय 5.20 बजे तक बढ़ाई गई)

(माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री के भाषण के मध्य सांय 5.20 बजे सदन की बैठक पुनः सांय 5.30 बजे तक बढ़ाई गई)

सांय 5.30 बजे सदन की बैठक शुक्रवार 12 जनवरी, 2018 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।